भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1069

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एटीएम बंद होने के कारण

1069. श्री अ. मनि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में कुल कितने एटीएम कार्यरत हैं तथा विगत पांच वर्षों में बंद हुए एटीएम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास एटीएम की संख्या में कमी के संबंध में कोई विशिष्ट नीति या निर्देश है तथा एटीएम बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन पर एटीएम बंद किए जाने के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) सीमित बैंकिंग अवसंरचना वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की नकदी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार की उन क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग इकाइयों अथवा बैंकिंग प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है जहां एटीएम बंद कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एटीएम मशीनों के बंद होने से प्रभावित क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और डिजिटल लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 'शाखा प्राधिकार नीति का युक्तिकरण' की नीति के अनुसार, बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित उनके द्वारा अभिचिह्नित केंद्रों/स्थानों में ऑनसाइट/ऑफसाइट ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) लगाने की अनुमति है।

देश में विगत पांच वर्ष में एटीएम लगाने में निरंतर वृद्धि हुई है। विगत पांच वर्ष में देश के अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 66% की वृद्धि के साथ एटीएम की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। देश में वर्ष-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

दिनांक	मेट्रो	शहरी	अर्द्धशहरी	ग्रामीण	कुल
सितम्बर-19	50210	41413	44051	33645	227886
सितम्बर-20	61229	59371	66077	47567	234244
सितम्बर-21	62574	64248	67007	47153	240982
सितम्बर-22	68091	59243	72879	54505	254718
सितम्बर-23	68291	59581	74683	55385	257940
सितम्बर-24	67224	59018	74650	54186	255078

स्रोत: आरबीआई

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंकों द्वारा एटीएम बंद किए जाने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों का समामेलन, कम प्रयोग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता की कमी, एटीएम का स्थान-परिवर्तन आदि शामिल हैं।

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सीमित बैंकिंग अवसंरचना वाले क्षेत्रों में नकदी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. आरबीआई ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] को प्रत्येक मामले में आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना देश में किसी भी स्थान पर शाखा सहित बैंकिंग आउटलेट खोलने की अनुमति दी है। यह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण केंद्रों अर्थात् 10,000 से कम आबादी वाले केंद्रों (टीयर 5 और टीयर 6 केंद्र) में खोले जाने के अध्यधीन है;

ii. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एससीबी, आरआरबी और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) को व्यवसाय सुविधा प्रदाता/व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। 12.62 लाख व्यवसाय प्रतिनिधियों का सुदृढ़ नेटवर्क देश भर में लोगों को व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है;

iii. डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हुए डिजिटल बैंकिंग पहुंच को बढ़ावा देने, ग्राहकों को पेपरलेस, सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) बनाए गए हैं। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा देश भर में कुल 102 डीबीयू स्थापित किए गए हैं;

iv. विगत नौ वर्ष में भारत ने वित्तीय समावेशन का अत्यधिक विस्तार और डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, जो जन धन योजना, यूपीआई के प्रसार (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) और मोबाइल इंटरनेट को व्यापक रूप में अपनाए जाने जैसी पहल से संभव हुआ है। विगत 5 वर्ष में यूपीआई लेनदेन 25 गुना बढ़ा है। यह वित्तीय वर्ष 18-19 में 535 करोड़ था और वित्तीय वर्ष 23-24 में बढ़कर 13,113 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 (सितंबर 2024 तक) में 122.06 लाख करोड़ रुपए के 8,566 करोड़ से अधिक यूपीआई लेनदेन हुए हैं।

*****